[2020] 1 एस. सी. आर 909

क.

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

(2020 की सिविल अपील संख्या 184-186) 10 जनवरी, 2020

[रोहिंटन फाली नरीमन**,** अनिरुद्ध बोस और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे।**]**

पर्यावरण-झील और अप्रवाही जल द्वीप समूह-संरक्षण-उच्च न्यायालय, मामलों के एक समूह में, दो अप्रवाही जल द्वीपों में रिसॉर्ट्स के विकास के बारे में चिंतित था, जिनके नाम वेम्बनाड झील में स्थित वामिका थुरूथु और नेदियातुरुथु हैं-उच्च न्यायालय ने पहले रिट याचिकाओं के एक समूह में और फिर समीक्षा याचिकाओं के एक समूह में, परियोजना प्रस्तावकों को केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं के आधार पर रिसॉर्ट्स के विकास की गतिविधि को जारी रखने से प्रतिबंधित कर दिया-इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने वामिका द्वीप द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया था जो वेट्टीला थुरूथु द्वीप में रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में उक्त रिट याचिकाओं के समूह से उत्पन्न हुई थीं।अपीलकर्ता आम मुद्दों पर वामिका द्वीप में उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से बच नहीं सकते हैं-यहां तक कि अपीलकर्ताओं के अनुसार, कुछ सामान्य मुद्दे, जैसे कि लवणता, निस्पंदन तालाब, कैडस्ट्रल मानचित्र, सीवीसीए, आदि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट किए गए निर्णय में विचार किया जाता है-यह तर्क कि इन सामान्य मुद्दों को पारित करने में, उक्त निर्णय में निपटाया जाता है और इसलिए, वे फिर से सक्रिय होने के हकदार हैं, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

909

– यदि उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट शब्दों में स्वीकार किया जाता है, तो यह पता लगाने के लिए उनकी जांच करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि क्या वे पारित होने में थे या विस्तृत फोकस में थे-ऐसी कवायद निर्णय की समीक्षा करने के समान होगी-अपीलकर्ताओं द्वारा अपने मामले और वेटिला थुरूथू से संबंधित मामले के बीच अंतर करने की मांग की गई थी कि वामिका को जारी किया गया भवन परमिट 2011 की अधिसूचना के बाद था-लेकिन यह अंतर अपीलकर्ताओं के बचाव में नहीं जाएगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1991 की अधिसूचना के तहत सीआरजेड-I के तहत वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और यही कारण है कि वेटिली में भी किए गए निर्माण पाए गए थे।

डी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना:**1.** अपीलार्थी सामान्य मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भी बच नहीं सकते हैं।यहां तक कि अपीलार्थियों के अनुसार, उन सामान्य मुद्दों में से कुछ, जैसे कि लवणता, निस्पंदन तालाब, कैडस्ट्रल मानचित्र, सीवीसीए, आदि पर इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ **23** और **24** में विचार किया जाता है।

ई.

वामिका द्वीप बनाम भारत संघ।यह तर्क कि ये

इस न्यायालय के निर्णय में सामान्य मुद्दों को पारित करने में निपटाया जाता है और इसलिए, वे फिर से उत्तेजित होने के हकदार हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **25] [926-**बी**]**

च

2. यदि उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो विशिष्ट शब्दों में, यह पता लगाने के लिए उनकी जांच करने का सवाल नहीं उठता है कि क्या वे पारित होने में थे या विस्तृत रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे थे।इस तरह की कवायद निर्णय की समीक्षा करने के समान होगी।**[**पैरा **26] [926-**सी**]**

जी.

3. उच्च न्यायालय द्वारा दोनों द्वीपों के लिए समान रूप से निपटाए गए प्रत्येक विशेष मुद्दे पर इस ए द्वारा विचार किया गया था।

एच.

911

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस.

वामिका द्वीप में अदालत और एक निष्कर्ष दर्ज किया गया।विशेष रूप से-सी. जेड. एम. पी. के मानचित्र संख्या **32** ए के साथ-साथ यह पता लगाने के लिए नियोजित तकनीकें कि क्या निर्माण सी. आर. जेड. **1991** के साथ-साथ **2011** के उल्लंघन में किए गए थे, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ **25** में पाया गया था कि वे किसी भी अवैधता से पीड़ित नहीं हैं।के. सी. जेड. एम. पी. को इस न्यायालय द्वारा वामिका के पैराग्राफ **23** में भारतीय सर्वेक्षण **(**भारत सरकार**)** द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों और केरल सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए कैडस्ट्रल मानचित्रों का ध्यान रखते हुए एम. ओ. ई. एफ. के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया गया था।पैराग्राफ **23** में यह भी बताया गया था कि एल. टी. एल. और एच. टी. एल. के बीच का क्षेत्र भी सी. आर. जेड. **I** है और निस्पंदन तालाब उथले जल निकाय हैं और इसलिए वे अधिसूचना के अनुसार सी. आर. जेड. **I** के अंतर्गत आते हैं।पैराग्राफ **24** में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि द्वीप नदियों या अप्रवाही जल या अप्रवाही जल द्वीपों के तटीय हिस्से हो सकते हैं और वे स्पष्ट रूप से सीआरजेड **I** द्वारा कवर किए गए हैं न कि सीआरजेड **III** या सीआरजेड **IV** के तहत। पैराग्राफ **24** में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस विचार का भी समर्थन किया कि वर्ष **2002** में लवणता परीक्षण को शामिल करने से पहले ही उस परीक्षण पर निर्भरता रखी गई थी, जो प्रति हजार भागों में मानक माप के अनुसार **5** पी. पी. टी. डब्ल्यू. एच. के आधार पर किया गया था।**[**पैरा **27] [926-**डी-एच**; 927-**ए**]**

ग

डी.

ई.

4. अपीलार्थियों द्वारा अपने मामले और वेट्टिला थुरुथु से संबंधित मामले के बीच पहला अंतर यह किया जाना चाहिए कि वामिका को जारी किया गया भवन परमिट **2011** की अधिसूचना के बाद का था।लेकिन यह भेद अपीलार्थियों के बचाव में नहीं जाएगा**,** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **1991** की अधिसूचना के तहत सीआरजेड **I** के तहत वर्गीकरण को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और यही कारण है कि इस न्यायालय ने वेट्टिला थुरुथु में किए गए निर्माण को दोनों अधिसूचनाओं**,** अर्थात् **1991** और **2011** की अधिसूचनाओं **(**वामिका द्वीप का पैराग्राफ **24)** का उल्लंघन पाया।**[**पैरा **28] [927-**बी-सी**]**

च

5. किसी भी मामले में**,** यहाँ अपीलकर्ताओं ने **02.08.1996** पर एन**.** ओ**.** सी**.** और **10.10.2007** पर भवन परमिट प्राप्त किया।वामिका द्वीप में अपने फैसले के पैराग्राफ **26** में**,** इस अदालत ने इस तथ्य को दर्ज किया कि पंचायतों के निदेशक ने **07.03.1995** और **17.07.1996** दिनांकित पत्रों के माध्यम से सभी पंचायतों को **CRZ** अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था और यह पाया गया था कि

जी.

एच.

क.

अनुमति देते समय उल्लंघन किया गया।यह निष्कर्ष इस तर्क की जड़ पर प्रहार करता है कि अपीलार्थियों का परमिट प्रभावित नहीं होगा**,** क्योंकि यह **2011** की अधिसूचना से पहले था।सभी पंचायतों को संबोधित **07.03.1995** और **17.07.1996** दिनांकित पंचायत निदेशक के पत्रों में**,** उन्हें **CRZ** अधिसूचना के प्रावधानों का पालन करने की सलाह देते हुए**,** अपीलकर्ताओं द्वारा क्रमशः **02.08.1996** और **10.10.2007** पर प्राप्त **NOC** और भवन परमिट स्पष्ट रूप से अवैध थे।**[**पैरा **29] [927-**सी**-**ई**]**

6. वेट्टिला थुरुथु और नेडियाथुरुथु दोनों द्वीप निश्चित रूप से बैकवाटर द्वीप हैं जो वेम्बनाड झील में स्थित हैं।वामिका द्वीप में फैसले के पैराग्राफ **27** में**,** इस अदालत ने संकेत दिया है कि वेम्बनाड झील एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और इस जल निकाय के सामाजिक**-**आर्थिक महत्व को देखते हुए**,** इसे "असुरक्षित आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए" निर्धारित किया गया था और इसे सीवीसीए घोषित किया गया था। इस निष्कर्ष को केवल वेट्टलिया थुरुथु द्वीप पर लागू नहीं माना जा सकता है।**[**पैरा **30] [927-**एफ**]7.** अपीलार्थियों के अनुसार**,** सी**.** आर**.** जेड**. 2011** सी**.** वी**.** सी**.** ए**.** की पहचान**,** योजना और कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। शुरुआत में**,** हितधारकों के परामर्श से एम**.** ओ**.** ई**.** एफ**.** द्वारा दिशा**-**निर्देश तैयार करने पड़ सकते हैं।अपीलार्थियों के अनुसार**,** स्थानीय मछुआरों और अन्य समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया और सी**.** वी**.** सी**.** ए**.** की पहचान और योजना की प्रक्रिया**,** एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया आदि भी शुरू नहीं की गई थी और इसलिए**,** वेम्बनाड झील हालांकि सी**.** वी**.** सी**.** ए**.** के रूप में सी**.** आर**.** जेड**. 2011** अधिसूचना के पैराग्राफ **8 (**वी**) (4) (**बी**)** में सूचीबद्ध है**,** लेकिन इसे अधिसूचित सी**.** वी**.** सी**.** ए**.** नहीं माना जा सकता है। **[**पैरा **31] [927-**जी**-**एच**; 928-**ए**]**

ग

डी.

ई.

च

8. लेकिन उपरोक्त दलीलों पर उच्च न्यायालय पहले ही अपने फैसले के पैराग्राफ **120-122** में विचार कर चुका है।अपने फैसले के पैराग्राफ **121** में**,** उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि जब पूरी वेम्बनाड झील को एक सीवीसीए के रूप में शामिल किया जाता है**,** तो एक प्रक्रिया के अधीन**,** न्यायालय को एक दृष्टिकोण लेना पड़ता है जो उस क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा करता है जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माना जाता है और इसलिए एक सीवीसीए। यह इस निष्कर्ष के विशेष

संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने वामिका द्वीप के पैराग्राफ **27** में कहा कि पूरी वेम्बनाड झील को सीवीसीए के रूप में देखा जाना चाहिए। **[**पैरा **32] [928-**बी**-**सी**]** ए

जी.

एच.

913

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस.

9. एक बार जब यह पाया जाता है कि दोनों द्वीपों के लिए सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले और उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से निपटाए जाने वाले मुख्य मुद्दों को इस न्यायालय से एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अनुमोदन की मुहर मिल गई थी**,** तो निर्णय में कुछ छोटे सहायक मुद्दों के आधार पर उन पर पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिन पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है।इसलिए**,** इस न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ताओं द्वारा मांगे गए भेद पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए**,** इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।**[**पैरा **33] [928-**बी**-**सी**]**

वामिका द्वीप बनाम भारत संघ **(2013) 8** एससीसी **760;**

एस. जगन्नाथ बनाम यू. ओ. आई (1997) 2 एस. सी. सी 87:[1996] 9 पूरक।

ग

एससीआर **848;** कुन्हयमद बनाम केरल राज्य **(2000) 6**

एससीसी 359:[2000] 1 पूरक।एस. सी. आर. 538; अब्बई मलिगाई

साझेदारी फर्म बनाम के**.** शांताकुमारन **(1998) 7** एससीसी

386 :[1998] 1 पूरक।एस. सी. आर. 535; खोडे डिस्टिलरीज

लिमिटेड वी**.**श्री महादेश्वर सहकार **(2019) 4** एस**.** सी**.** सी**. 376**

:[2019] 3 एस**.** सी**.** आर**. 411-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

(2013) 8 एस**.** सी**.** सी**. 760**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

[1996] 9 पूरक।एससीआर **848**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

ई.

[2000] 1 पूरक।एससीआर **538**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1998] 1 पूरक।एससीआर **535**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2019] 3 एससीआर **411**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 184-186।

च

केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम में रिट याचिका संख्या 4808/2012 (A), 28485/2011 (I) और 34799/2011 (S) में दिनांकित <ID1 के निर्णय और आदेश से।

सह

जी.

2020 की सिविल अपील संख्या 187।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अविष्कार सिंघवी, वंशदीप डालमिया, निपुण कत्याल, सुश्री माधवी खन्ना, ध्रुव सुराना, सुचाक्षु जैन, सहस्रनाम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

914

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

क.

संजय जैन, एएसजी, पल्लव सिसोदिया, संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सी. के. सासी, सुरेशन पी., विष्णु शर्मा, उत्कर्ष सिंह, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री संजना श्रीकुमार, ऋत्विक पारिख, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, विक्रांत यादव, मोहम्मद। अखिल, डॉ. डी. वी. राव, गुरमीत सिंह मक्कर, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, एम. टी. जॉर्ज, विपिन नायर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए, पहले रिट याचिकाओं के एक समूह में और फिर समीक्षा याचिकाओं के एक समूह में, केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (इसके बाद 'के. सी. जेड. एम. पी.') और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं के आधार पर केरल राज्य के अलप्पुझा जिले के वेम्बनाड झील में नेडियाथुरुथु द्वीप नामक एक अप्रवाही जल द्वीप में एक रिसॉर्ट के विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाने से उन्हें प्रतिबंधित करते हुए, परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त अपीलों के साथ आया है।

ग

डी.

3. उच्च न्यायालय, मामलों के समूह में, केरल राज्य के अलप्पुझा जिले में वेम्बनाड झील, पनावल्ली पंचायत में स्थित दो अप्रवाही जल द्वीपों, वेट्टीला थुरुथु और नेडियाथुरुथु में रिसॉर्ट्स के विकास के बारे में चिंतित था।

ई.

4. 25.07.2013 पर पारित एक सामान्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सात रिट याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें से पांच नेडियाथुरुथु द्वीप से संबंधित थीं और अन्य दो वेट्टीला थुरुथु द्वीप से संबंधित थीं।नेडियाथुरुथु द्वीप से संबंधित 5 रिट याचिकाओं में से 3 (i) पारंपरिक मछुआरों के एक समूह (ii) एक लोक कल्याण संस्था और (iii) मछुआरों और श्रमिकों के एक ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की गई थीं, जो सभी द्वीप में रिसॉर्ट के निर्माण का विरोध कर रहे थे।अन्य 2 रिट याचिकाएं परियोजना के प्रस्तावक द्वारा दायर की गई थीं, जिसका नाम कपिको केरल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड था, जिसे विवादित फैसले में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसमें निर्माण पूरा करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी और 1991 की सीआरजेड अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में द्वीप को शामिल करने को भी चुनौती दी गई थी।इसी तरह, वेट्टीला थुरुथु द्वीप से संबंधित 2 रिट याचिकाओं में से एक सोसायटी द्वारा विकास का विरोध किया गया था और दूसरा परियोजना के प्रस्तावक द्वारा किया गया था, जिसे वामिका द्वीप (ग्रीन लैगून रिज़ॉर्ट) नाम दिया गया था, जिसे विवादित फैसले में 'द्वीप मालिकों' के रूप में संदर्भित किया गया था।

च

जी.

एच.

915

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

5. उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश का प्रभाव था (i) दोनों द्वीपों के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अस्वीकार करना और (ii) स्थानीय मछुआरों या ट्रेड यूनियन या सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति देनाः

आई. नेडियाथुरुथु द्वीप (जो इन अपीलों में अपीलकर्ता है और जिसे 'कपिको' के रूप में जाना जाता है) के संबंध में परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को नेडियाथुरुथु द्वीप में अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

ग

ii.कि भारत सरकार/प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेडियाथुरुथु द्वीप में किए गए अतिक्रमण को तीन महीने के भीतर हटा दिया जाए।

iii.कि नेडियाथुरुथु द्वीप के संबंध में परियोजना प्रस्तावक, अर्थात् कपिको और वेट्टिला थुरुथु द्वीप के संबंध में परियोजना प्रस्तावक, अर्थात् वामिका, आगे कोई निर्माण नहीं करेंगे।

डी.

iv.कि भारत सरकार/प्राधिकरण को द्वीप के मालिकों, अर्थात् वामिका द्वारा स्थापित अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

ई.

v. कि अधिकारियों को वेट्टिला थुरुथु द्वीप में पाई गई अनगिनत इमारतों के संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।6. उन 7 रिट याचिकाओं (5 नेडियाथुरुथु से संबंधित और 2 वेट्टीला थुरुथु से संबंधित) में 25.07.2013 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश के खिलाफ, वेट्टीला थुरुथु द्वीप में परियोजना के संबंध में सबसे पहले वामिका द्वीप (ग्रीन लैगून रिज़ॉर्ट) द्वारा विशेष अनुमति द्वारा दो अपील दायर की गई थीं।एसएलपी (सी) नंबर 24390-24391/2013 में ये दो विशेष अनुमति याचिकाएं पहली बार 01.08.2013 पर सुनवाई के लिए आईं और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद, इस अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।इसके बाद, वामिका द्वीप बनाम भारत संघ 1 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपनी अभेद्यता दी गई।इसलिए, वेट्टिला थुरुथु में रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में विवाद ने अंतिम रूप ले लिया और परियोजना किसी से आगे की मंजूरी की आवश्यकता के बिना समुद्र तल के नीचे गहरी दफन हो गई।

च

जी.

एच.

1 (2013) 8 एस. सी. सी. 760

7. हालाँकि, जहाँ तक नेडियाथुरुथु द्वीप का संबंध है, इन अपीलों में अपीलार्थी ने पहली बार में, तीन विशेष अनुमति याचिकाएँ, 2013 की एसएलपी (सी) संख्या <आईडी2,07.08.2013 पर दायर की (वेट्टीला थुरुथु द्वीप के संबंध में विशेष अनुमति याचिकाओं में निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद)।तीन विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने के अलावा, अपीलकर्ताओं ने 2013 की समीक्षा याचिका संख्या 776 से 780 और 843 में समीक्षा की 6 याचिकाओं (कंपनी द्वारा 5 और इसके निदेशक द्वारा 1) के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय का भी रुख किया।समीक्षा के लिए ये याचिकाएं अक्टूबर 2013 में दायर की गई थीं।लेकिन जब तक समीक्षा के लिए याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तब तक उच्च न्यायालय के सामान्य फैसले की पुष्टि वामिका द्वीप (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा 08.08.2013 पर पहले ही की जा चुकी थी।इसलिए, विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10.12.2013 के आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।उन 6 समीक्षा याचिकाओं में से केवल एक को खारिज करने को चुनौती देते हुए, 2013 की आर. पी. संख्या 776, (जो 2011 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 19564 से उत्पन्न हुई) अपीलार्थी अप्रैल 2014 में एस. एल. पी. (सी) संख्या 21927 में एक अलग विशेष अनुमति याचिका के साथ सामने आए।इसे दिनांकित 25.07.2013 के मूल आदेश से उत्पन्न होने वाली पहली 3 विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ टैग किया गया।

ग

डी.

8. इस प्रकार हमारे पास नेडियाथुरुथु द्वीप में एक रिसॉर्ट के निर्माण के लिए परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा दायर चार अपीलें हैं। ये अपीलें क्रमशः (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करने से उत्पन्न होती हैं जिसमें नेडियाथुरुथु द्वीप को सीआरजेड के भीतर शामिल करने को चुनौती दी गई है और यह घोषणा करने की मांग की गई है कि 1991 की सीआरजेड अधिसूचना द्वीप पर लागू नहीं होती है, (ii) रिसॉर्ट के निर्माण को पूरा करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना, (iii) सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश, अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही जारी रखने का निर्देश देना और (iv) द्वीप में हिस्सेदारी जाल पर अधिकार का दावा करने वाले स्थानीय मछुआरों द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित आदेश की समीक्षा के लिए याचिका को खारिज करना, परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाए गए निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देना और

ई.

च

पर्याप्त लिखित याचिका में दलीलें

जी.

9. जैसा कि पहले कहा गया है, इसमें अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2 रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता थे।लेकिन जिस रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा पर्याप्त राहत का दावा किया गया था, वह डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 4808/2012 में थी।संक्षेप में कहा गया है कि 2012 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 4808 में अपीलार्थियों का दावा था कि (i) ए. की सी. आर. जेड. अधिसूचना

एच.

917

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

1991 नेडियाथुरूथु जैसे द्वीपों पर लागू नहीं होता है और केरल के अप्रवाही जल क्षेत्र में रहने वाले द्वीपों को पहली बार केवल 2011 की सी. आर. जेड. अधिसूचना द्वारा विनियमों के दायरे में लाया गया था; (ii) चूंकि अपीलकर्ताओं ने ग्राम पंचायत से 'आई. डी. 2' पर एन. ओ. सी. और 'आई. डी. 3' पर भवन निर्माण परमिट प्राप्त किया है, इसलिए 2011 की सी. आर. जेड. अधिसूचना उनके मामले में लागू नहीं की जा सकती है; (iii) कि 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना सी. आर. जेड. 4 के तहत छोटे द्वीपों को वर्गीकृत करती है और भवनों के निर्माण के लिए कोई निषेध नहीं है, क्योंकि मानक अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं; (iv) कि छोटे द्वीपों के संबंध में एच. टी. एल. से दूरी मामले-दर-मामले अध्ययन के आधार पर तय करने की आवश्यकता है; (v)

ग

डी.

ई.

10. ऐसा प्रतीत होता है कि केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दायर प्रारंभिक जवाबी-हलफनामे में रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. नं. 2011 का 19564) स्थानीय पारंपरिक मछुआरों द्वारा दायर), उन्होंने एक रुख अपनाया (i) कि वेम्बनाड झील सी. आर. जेड. IV के तहत आती है; (ii) कि नेडियाथुरूथु द्वीप सी. आर. जेड. III के तहत आता है; (iii) कि नेडियाथुरूथु द्वीप में 100 मीटर तक एच. टी. एल. का सी. आर. जेड. भूमि है; (iv) कि एक रिसॉर्ट के निर्माण के लिए 1991 और 2011 की सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं के तहत मंजूरी की आवश्यकता है; (v) कि वेम्बनाड कायल (झील) को गंभीर रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र घोषित किया गया है, (vi) कि हालांकि पनावली ग्राम पंचायत के पास समुद्री तट नहीं है, लेकिन इसमें ज्वारीय प्रभाव वाले जल निकाय हैं और (vii) कि पंचायत निर्माण परमिट जारी करने में सक्षम नहीं थी जब

च

जी.

एच.

11. हालाँकि, 2012 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 4808 में दायर जवाबी-हलफनामे में, केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने यह रुख अपनाया कि द्वीप सी. आर. जेड. I के अंतर्गत आता है। 1991 की अधिसूचना के तहत सी. आर. जेड. I और सी. आर. जेड. III के बीच अंतर यह था कि (i) वे क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान/समुद्री उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित वन, वन्यजीव आवास, मैंग्रोव, प्रवाल/प्रवाल भित्ति, प्रजनन के करीब के क्षेत्र और मछली और अन्य समुद्री जीवन के प्रजनन स्थल, उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र/ऐतिहासिक/विरासत क्षेत्र, आनुवंशिक विविधता से समृद्ध क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्न होने की संभावना वाले क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें सी. आर. जेड. द्वारा घोषित किया जा सकता है।

ग

12. जहाँ तक सी. आर. जेड. I/सी. आर. जेड. III में गतिविधियों के प्रतिबंधों/विनियमन का संबंध है, अपीलार्थियों पर प्रभाव तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए विशिष्ट रुख के आलोक में समान था।जबकि सी. आर. जेड. I में अधिसूचना में बताए गए क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं है, एच. टी. एल. से 200 मीटर तक के क्षेत्रों को सी. आर. जेड. III में 'कोई विकास क्षेत्र नहीं' के रूप में निर्धारित किया जाना था। चूंकि तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का जवाबी-हलफनामा विशेष रूप से इस आधार पर आगे बढ़ा कि नेडियाथुरुथु द्वीप के पास 100 मीटर तक एच. टी. एल. का सी. आर. जेड. भूमि है, इसलिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए रुख में विरोधाभास अपीलार्थी के लाभ के लिए नहीं होगा।

डी.

ई.

च

गुण-दोष पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

13. दोनों द्वीपों को शामिल करने वाले सामान्य आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि (i) नेडियाथुरूथु और वेट्टिला थुरूथु दोनों द्वीप केरल के अप्रवाही जल द्वीप हैं और इसलिए, 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना द्वारा कवर किए गए हैं; (ii) हालांकि किसी क्षेत्र को सी. आर. जेड. के रूप में वर्गीकृत करने के लिए लवणता परीक्षण के संचालन की आवश्यकता केवल वर्ष 2002 में एक संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी, प्राधिकरण ने 5 पी. पी. टी. (भाग प्रति हजार) के आधार पर लवणता परीक्षण करने पर जोर दिया था; (iii) अपीलकर्ता को जारी किए गए परमिट ने उनके लिए 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया था और इसलिए, वे सी. जेड. एम. पी. पर हमला नहीं कर सकते हैं।

जी.

एच.

919

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

1991 की अधिसूचना में सी. आर. जेड. IV में शामिल किए गए द्वीपों का उद्देश्य अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के आसपास के छोटे समुद्री द्वीपों को शामिल करना है, लेकिन इसका उद्देश्य उन अप्रवाही जल द्वीपों को शामिल करना नहीं है जो अधिसूचना में विचार किए गए ज्वार के प्रभाव से प्रभावित हैं; (v) जिन अप्रवाही जल द्वीपों में मैंग्रोव और मछली और अन्य समुद्री जीवन के प्रजनन और प्रजनन के करीब के क्षेत्र हैं, वे सी. आर. जेड. I के अंतर्गत आएंगे; (vi) कि 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना स्पष्ट रूप से समुद्र के तटीय हिस्सों के साथ-साथ अप्रवाही जल द्वीपों के तटीय हिस्सों को अपने दायरे में लेती है; (vii) पर्यावरण न्यायशास्त्र के विकास और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून को देखते हुए, इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार का प्रतिबंध और विनियमन।

ग

डी.

ई.

च

जी.

2 (1997) 2 एससीसी 87

एच.

14. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने एक वैज्ञानिक डॉ. के. वी. थॉमस की सहायता मांगी, जो पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, अक्कुलम, तिरुवनंतपुरम में समुद्री विज्ञान विभाग के प्रमुख थे।उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. के. वी. को दिए गए विवादित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है। थॉमस, इस बारे में विशिष्ट प्रश्न (i) क्या एच. टी. एल. केवल समुद्र तट पर पाया जा सकता है और अन्य हिस्सों में नहीं; (ii) एच. टी. एल. को ठीक करने के लिए किया गया परीक्षण; और (iii) नेदियातुरुथु की पहचान कैसे की गई जिसमें एक निस्पंदन तालाब था।विवादित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी डॉ. के. वी. थॉमस से सवाल करने की अनुमति दी गई थी।इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने डॉ. थॉमस द्वारा दिए गए बयानों पर आपत्तियों का एक हलफनामा दायर किया।आपत्तियों के इस हलफनामे ने केवल डॉ. थॉमस के बयान में विसंगतियों और त्रुटियों को उजागर किया।डॉ. थॉमस की राय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं थी।न ही उनके बयानों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कोई आपत्ति जताई गई।

ग

अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

डी.

15. रिट याचिकाओं में उठाए गए तकनीकी मुद्दों पर एक विशेषज्ञ की राय लेने के अलावा, उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर की उपस्थिति में अलाप्पुझा के उप सर्वेक्षणकर्ता द्वारा एक सर्वेक्षण भी कराया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि (i) अपीलकर्ताओं के कब्जे में संपत्ति की सीमा और (ii) द्वीप की सटीक सीमा।यह उच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय मछुआरों और सोसायटी द्वारा लगाए गए एक विशिष्ट आरोप के आलोक में किया गया था कि अपीलार्थी भी अतिक्रमण के दोषी थे।22.11.2012 पर उस प्रभाव के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एक सर्वेक्षण और माप किया गया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार, एक अतिक्रमण हुआ था, जिसके कारण केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 की धारा 11 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था।रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद, अपीलकर्ताओं ने स्पष्टीकरण के लिए 2012 के आई. ए. सं. 16744 में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया।उच्च न्यायालय ने तब अपीलकर्ताओं के लिए एक सक्षम मंच के समक्ष सर्वेक्षण की रिपोर्ट की शुद्धता का आरोप लगाने के लिए इसे खुला छोड़ दिया।दूसरे शब्दों में, अतिक्रमण के मुद्दे पर अपीलकर्ताओं के भाग्य पर मुहर लगाए बिना, केवल अदालत की देखरेख में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को एक अलग कार्यवाही में आंदोलन करने के लिए जीवन का पट्टा दिया।उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम विवादित आदेश पर हमले के आधारों को देखें।

ई.

च

जी.

एच.

921

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

प्रतिद्वंद्वी विवाद

16. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का समर्थन करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना के तहत किसी भी समय लवणता परीक्षण किए बिना, एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया था जैसे कि भूमि की लवणता 5 पी. पी. टी. थी और इसलिए, भूमि समुद्र के ज्वारीय प्रभाव से सीधे प्रभावित थी; (ii) अपीलार्थी की भूमि पर निस्पंदन तालाबों के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष, जो सी. आर. जेड. I की एक अंतर्निहित विशेषता है, उतना ही त्रुटिपूर्ण है जितना कि अधिकांश मानचित्रों में क्षेत्र को नारियल के बागानों के रूप में दर्शाया गया है, जो एक निस्पंदन तालाब के साथ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं; (i); (viii) कि द्वीप का गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र (सी. वी. सी. ए.) के रूप में वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सी. आर. जेड. 2011 द्वारा आवश्यक एम. ओ. ई. एफ. द्वारा कोई अधिसूचना कभी जारी नहीं की गई थी और सी. वी. सी. ए. की पहचान करने और अधिसूचित करने के लिए अनिवार्य अनुक्रम का पालन नहीं किया गया था और (ix) कि अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त बारह अनुमतियाँ/अनुमोदन और रिसॉर्ट के निर्माण के 75 प्रतिशत को पूरा करने को उच्च न्यायालय द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

17. निजी पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख और केरल राज्य और के. सी. जेड. एम. ए. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पल्लव शिशोदिया ने मामले के गुण-दोष पर विस्तृत विचार-विमर्श पर प्रारंभिक आपत्ति जताई।यह इस आधार पर था कि इन अपीलों में आक्षेपित सामान्य आदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है

एच.

922

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

वेट्टिला थुरुथु द्वीप के संबंध में इस न्यायालय के एक तर्कपूर्ण निर्णय के माध्यम से विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने के साथ अंतिमता।उनके द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता अब एमओईएफ द्वारा जारी एक अधिसूचना (जो नियमित करने की योजना की प्रकृति में है) के तहत शरण लेने के लिए सहमत होने के बाद और उक्त अधिसूचना के तहत एक आवेदन दायर करने के बाद गर्म और ठंडा नहीं कर सकते हैं।उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय का आदेश गुण-दोष के आधार पर उचित था और इस न्यायालय के लिए वामिका द्वीप (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है।

18. हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी ने तर्क दिया कि वामिका द्वीप में इस न्यायालय का निर्णय केवल वेट्टिला थुरुथु द्वीप से संबंधित तथ्यों तक ही सीमित था और चूंकि वेट्टिला थुरुथु द्वीप और नेडियाथुरुथु द्वीप (जिससे वर्तमान अपीलें संबंधित हैं) की अलग-अलग विशेषताएं थीं, इसलिए नेडियाथुरुथु द्वीप के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता को स्वतंत्र रूप से देखने की आवश्यकता है।उनके अनुसार विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार हैं:(i) कि वेट्टीला थुरुथु को स्पष्ट रूप से सी. आर. जेड. 2011 अधिसूचना द्वारा कवर किया गया था, क्योंकि उसमें अपीलकर्ता (वामिका) के लिए बिल्डिंग परमिट 30.04.2012 पर दिया गया था; (ii) हालांकि लवणता, निस्पंदन तालाबों से संबंधित विवाद, डॉ. के. वी. थॉमस की राय, कैडस्ट्रल मानचित्रों की कमी और सी. वी. सी. ए. के रूप में क्षेत्र की पहचान को वामिका द्वीप में इस न्यायालय के फैसले में निपटाया गया है, दो पैराग्राफ में, मूल तथ्यात्मक मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है; (iii) कि वेट्टीला थुरुथु द्वीप में मैंग्रोव के अस्तित्व का निष्कर्ष और नेड के संबंध में इस तरह के निष्कर्ष की अनुपस्थिति।

ग

डी.

ई.

च

जी.

प्रारंभिक मुद्दा-क्या वामिका द्वीप में निर्णय अलग करने योग्य है

एच.

923

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

19. प्रतिद्वंद्वी विवादों के आलोक में, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पहले प्रारंभिक मुद्दे से निपटें, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वामिका द्वीप में निर्णय हमारे सामने समीक्षा के अधीन नहीं है।उसमें व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह नहीं किया गया है और हमें एक संदर्भ दिया गया है।इसलिए, मामलों के दो समूहों के बीच सूक्ष्म अंतर का पता लगाने के लिए आवर्धक चश्मे के साथ शोध करना हमारा प्रयास नहीं हो सकता है।हमारा प्रयास केवल यह पता लगाने का हो सकता है कि दोनों मामलों में उठाए गए प्रमुख मुद्दे काफी हद तक समान हों।यदि उत्तर हाँ है, तो अपीलों को खारिज किया जा सकता है।यदि नहीं, तो गुण-दोष पर तर्क को वामिका में निर्णय से स्वतंत्र माना जाना चाहिए।इसलिए, आइए अब देखें कि इन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा किन मुद्दों पर विचार किया गया था और उच्च न्यायालय ने उनका जवाब कैसे दिया।

ग

उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दे

20. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में, विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, पहला वेट्टीला थुरुथु और नेडियाथुरुथु के लिए सामान्य मुद्दों से निपटना और अगला उनमें से प्रत्येक के लिए विशिष्ट मुद्दों से निपटना।उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अनुच्छेद 31 के बाद से दोनों द्वीपों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सामान्य मुद्दों पर विचार किया। पैराग्राफ 31 से पैराग्राफ 85 तक के सामान्य मुद्दों पर विचार करने और उनका जवाब देने के बाद, उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से (i) पैराग्राफ 86 में अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से किए गए अतिक्रमण के मुद्दे और (ii) स्थानीय मछुआरों और एक ट्रेड यूनियन द्वारा मांगी गई कुछ विशिष्ट राहतों से संबंधित मुद्दे पर पैराग्राफ 87 से 89 में अपीलार्थी के खिलाफ दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में विचार किया।इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अन्य मुद्दों पर विचार किया।

डी.

ई.

21. संक्षेप में, दोनों द्वीपों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सामान्य मुद्दे हैं:

च

(क) क्या केरल के अप्रवाही जल में स्थित द्वीप 1991 की सी. आर. जेड. अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं और क्या 2002 में किए गए संशोधन द्वारा आवश्यक लवणता परीक्षण करने में विफलता ने के. सी. जेड. एम. ए. के रुख को दूषित कर दिया है?

जी.

(ख) क्या ये द्वीप सी. आर. जेड. IV के अंतर्गत आएंगे और संपत्ति के अधिकारों और वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

एच.

(ग) क्या 1 के पैमाने पर बनाए गए मानचित्रों के आधार पर द्वीप की पहचान एक निस्पंदन तालाब के रूप में की गई है:12,500 बिना किसी क्षेत्र की जाँच के उपग्रह चित्रों का उपयोग करना, क्या सही है?

(डी) क्या निस्पंदन तालाब प्रकाश में एक अभिशाप हैं

एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय का निर्णय

(ऊपर)?

(ङ) क्या इन क्षेत्रों को निस्पंदन तालाबों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री है?

(च) क्या द्वीप विशिष्ट अध्ययन होना चाहिए?

(छ) क्या कैडस्ट्रल मानचित्र आवश्यक है और इसकी अनुपस्थिति घातक है?इन सभी मुद्दों पर निष्कर्ष अपीलार्थियों के साथ-साथ वेट्टिला थुरुथु द्वीप में परियोजना के प्रस्तावक के खिलाफ गए।हमने उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों का सार उपरोक्त पैराग्राफ-13 में दर्ज किया है।

ग

डी.

22. जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, वामिका द्वीप में इस न्यायालय के निर्णय को सात पहचान योग्य विशेषताओं के आधार पर अलग करने की मांग की गई है, जिनमें से कुछ, अपीलकर्ताओं के अनुसार, केवल पारित संदर्भ में, वामिका द्वीप में निर्णय में शामिल हैं।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी के अनुसार, लवणता, निस्पंदन तालाबों, डॉ. केवी थॉमस की राय, कैडस्ट्रल मानचित्रों की कमी और सीवीसीए के रूप में झील की पहचान से संबंधित मुद्दों का उल्लेख वामिका द्वीप में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 23 और 24 में किया गया है।यह उनका तर्क है कि वामिका द्वीप में इस न्यायालय के निर्णय के ये दो पैराग्राफ, बिना किसी तर्क के इन मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से निर्णय लेना चाहते हैं और इसलिए, यह न्यायालय नेडियाथुरुथु द्वीप के संबंध में उन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का हकदार है।आइए अब देखें कि क्या यह तर्क वैध है।

ई.

च

23. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कुन्हयमद बनाम केरल राज्य 3 में बताया गया है, एक गैर-भाषी आदेश द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने और एक बोलने या तर्कपूर्ण आदेश द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के बीच अंतर है।दोनों ही मामलों में विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।लेकिन बाद की श्रेणी के तहत आने वाले मामलों में, न्यायालय द्वारा बताए गए कारण संविधान के अनुच्छेद 141 की प्रयोज्यता को आकर्षित करेंगे, यदि उसमें कानून का एक बिंदु घोषित किया गया है।यदि सर्वोच्च के क्रम में क्या कहा गया है

जी.

3 (2000) 6 एससीसी 359 ए

एच.

925

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

न्यायालय (अनुमति देने से पहले) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष होते हैं, जो कानून की घोषणा के बराबर नहीं होते हैं, इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष केवल पक्षकारों को ही बाध्य करेंगे।हालांकि कुन्हयमद में व्यक्त किए गए विचारों को कुछ अन्य निर्णयों [अब्बई मलिगाई पार्टनरशिप फर्म बनाम के. शांताकुमारन 4] में व्यक्त किए गए विचारों के विपरीत माना गया था, और इस मुद्दे को एक आधिकारिक निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया था, इस अदालत ने अब स्पष्ट किया है

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनामश्री महादेश्वर सहकार **5,** कि

कुन्हयमद सही कानून निर्धारित करता है।24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वामिका द्वीप में निर्णय विशेष अनुमति याचिकाओं के चरण में दिया गया था।जाहिर है कि इस न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके लिए विस्तृत कारणों को दर्ज करते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की।वामिका द्वीप के पैराग्राफ 27 और 28 में व्यक्त राय, हमारे सामने अपीलकर्ताओं के लिए भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं देती है।निर्णय के अनुच्छेद 27 और 28 में

ग

वामिका द्वीप इस प्रकार हैः“27. हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए और वेम्बनाड झील को बचाने के लिए जारी किया गया था, जो एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है।वेम्बनाड झील वर्तमान में बढ़ते मानव हस्तक्षेप के कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षरण से गुजर रही है और, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, इस जल निकाय के सामाजिक-आर्थिक महत्व को पहचानते हुए, इसे हाल ही में "असुरक्षित आर्द्रभूमि को संरक्षित करने" के लिए निर्धारित किया गया है और इसे सीवीसीए के रूप में घोषित किया गया है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से क्रम में हैं।

डी.

ई.

च

28. इसके अलावा, 1991 और 2011 की सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं की मुद्रा के दौरान किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से पीडाडे फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य (2004) 3 एस. सी. सी. 445) में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि ऐसी अधिसूचनाएं देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में जारी की गई हैं।

जी.

4 (1998) 7 एससीसी 386 5 (2019) 4 एससीसी 376

एच.

926 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एस. सी. आर.

तटीय क्षेत्र और ऐसे नियमों के उल्लंघन में किए गए निर्माण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।"

25. अपीलार्थी सामान्य मुद्दों पर अन्य अनुच्छेदों में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भी बच नहीं सकते हैं।यहां तक कि अपीलार्थियों के अनुसार, उन सामान्य मुद्दों में से कुछ, जैसे कि लवणता, निस्पंदन तालाब, कैडस्ट्रल मानचित्र, सीवीसीए, आदि पर इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 23 और 24 में विचार किया जाता है।यह तर्क कि इन सामान्य मुद्दों को पारित करते समय, इस न्यायालय के निर्णय में निपटाया जाता है और इसलिए, वे फिर से सक्रिय होने के हकदार हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।26. यदि उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो विशिष्ट शब्दों में, यह पता लगाने के लिए उनकी जांच करने का सवाल नहीं उठता है कि क्या वे पारित होने में थे या विस्तृत रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे थे।इस तरह की कवायद निर्णय की समीक्षा करने के समान होगी।

ग

27. उच्च न्यायालय द्वारा दोनों द्वीपों के लिए समान रूप से निपटाए गए प्रत्येक विशेष मुद्दे पर वामिका द्वीप में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और एक निष्कर्ष दर्ज किया गया।विशेष रूप से -

डी.

i. सी. जेड. एम. पी. के मानचित्र संख्या 32 ए के साथ-साथ यह पता लगाने के लिए नियोजित तकनीकें कि क्या निर्माण सी. आर. जेड. 1991 के साथ-साथ 2011 के उल्लंघन में किए गए थे, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 25 में पाया गया था कि वे किसी भी अवैधता से पीड़ित नहीं हैं।

ई.

ii.के. सी. जेड. एम. पी. को इस न्यायालय द्वारा वामिका के पैराग्राफ 23 में भारतीय सर्वेक्षण (भारत सरकार) द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों और केरल सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए कैडस्ट्रल मानचित्रों का ध्यान रखते हुए एम. ओ. ई. एफ. के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया गया था।

च

iii.पैराग्राफ 23 में यह भी बताया गया था कि एल. टी. एल. और एच. टी. एल. के बीच का क्षेत्र भी सी. आर. जेड. I है और निस्पंदन तालाब उथले जल निकाय हैं और इसलिए वे अधिसूचना के अनुसार सी. आर. जेड. I के अंतर्गत आते हैं।

iv.पैराग्राफ 24 में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि द्वीप नदियों या अप्रवाही जल या अप्रवाही जल द्वीपों के तटीय हिस्से हो सकते हैं और वे स्पष्ट रूप से सीआरजेड I द्वारा कवर किए गए हैं न कि सीआरजेड III या सीआरजेड IV के तहत।पैराग्राफ 24 में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस विचार का भी समर्थन किया कि लवणता परीक्षण को ए में शामिल किए जाने से पहले ही

जी.

एच.

927

कापिको केराला रिसॉर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.केरल राज्य और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

वर्ष 2002 में, उस परीक्षण पर 5 पी. पी. टी. के आधार पर निर्भरता रखी गई थी, जिसे प्रति हजार भागों में मानक माप के अनुसार बनाया गया था।

28. अपीलार्थियों द्वारा अपने मामले और वेट्टिला थुरुथु से संबंधित मामले के बीच पहला अंतर यह बताया जाना चाहिए कि वामिका को जारी किया गया भवन परमिट 2011 की अधिसूचना के बाद का था।लेकिन यह भेद अपीलार्थियों के बचाव में नहीं जाएगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1991 की अधिसूचना के तहत सीआरजेड I के तहत वर्गीकरण को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और यही कारण है कि इस न्यायालय ने वेट्टिला थुरुथु में किए गए निर्माण को दोनों अधिसूचनाओं, अर्थात् 1991 और 2011 की अधिसूचनाओं (वामिका द्वीप का पैराग्राफ 24) का उल्लंघन पाया।

ग

29. किसी भी मामले में, यहाँ अपीलकर्ताओं ने 02.08.1996 पर एन. ओ. सी. और 10.10.2007 पर भवन परमिट प्राप्त किया।वामिका द्वीप में अपने फैसले के पैराग्राफ 26 में, इस अदालत ने इस तथ्य को दर्ज किया कि पंचायतों के निदेशक ने दिनांक 1 और 2 के पत्रों के माध्यम से सभी पंचायतों को सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था और अनुमति देते समय इसका उल्लंघन किया गया था।यह निष्कर्ष इस तर्क की जड़ पर प्रहार करता है कि अपीलार्थियों का परमिट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह 2011 की अधिसूचना से पहले था।पंचायत निदेशक द्वारा सभी पंचायतों को संबोधित पत्रों में, जिसमें उन्हें सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई थी, अपीलकर्ताओं द्वारा क्रमशः 02.08.1996 और 10.10.2007 पर प्राप्त एनओसी और भवन परमिट स्पष्ट रूप से अवैध थे।

डी.

ई.

30. वेट्टिला थुरुथु और नेडियाथुरुथु दोनों द्वीप निश्चित रूप से बैकवाटर द्वीप हैं जो वेम्बनाड झील में स्थित हैं।वामिका द्वीप में फैसले के पैराग्राफ 27 में, इस अदालत ने संकेत दिया है कि वेम्बनाड झील एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और इस जल निकाय के सामाजिक-आर्थिक महत्व को देखते हुए, इसे "असुरक्षित आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए" निर्धारित किया गया था और इसे सीवीसीए घोषित किया गया था। हम नहीं जानते कि इस निष्कर्ष को केवल वेट्टलिया थुरुथु द्वीप पर कैसे लागू किया जा सकता है।

च

जी.

31. अपीलार्थियों के अनुसार, सी. आर. जेड. 2011 सी. वी. सी. ए. की पहचान, योजना और कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। शुरुआत में, हितधारकों के परामर्श से एम. ओ. ई. एफ. द्वारा दिशा-निर्देश तैयार करने पड़ सकते हैं। अपीलार्थियों के अनुसार, स्थानीय मछुआरों और अन्य समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया और

एच.

सी. वी. सी. ए. की पहचान और योजना, एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया आदि भी शुरू नहीं की गई थी और इसलिए, वेम्बनाड झील हालांकि सी. वी. सी. ए. के रूप में सी. आर. जेड. 2011 अधिसूचना के पैराग्राफ 8 (वी) (4) (बी) में सूचीबद्ध है, लेकिन इसे अधिसूचित सी. वी. सी. ए. नहीं माना जा सकता है। 32.लेकिन उपरोक्त दलीलों पर उच्च न्यायालय पहले ही अपने फैसले के पैराग्राफ 120-122 में विचार कर चुका है।अपने फैसले के पैराग्राफ 121 में, उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि जब पूरी वेम्बनाड झील को एक सीवीसीए के रूप में शामिल किया जाता है, तो एक प्रक्रिया के अधीन, न्यायालय को एक दृष्टिकोण लेना होता है जो उस क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा करता है जिसे पारिस्थितिक रूप से

संवेदनशील माना जा रहा है और इसलिए एक सीवीसीए। यह इस निष्कर्ष के विशेष संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने वामिका द्वीप के पैराग्राफ 27 में कहा कि पूरी वेम्बनाड झील को सीवीसीए के रूप में देखा जाना चाहिए। 33.एक बार जब हम पाते हैं कि दोनों द्वीपों के लिए सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले और उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से निपटाए जाने वाले मुख्य मुद्दों को इस न्यायालय से एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अनुमोदन की मुहर मिल गई थी, तो निर्णय में कुछ छोटे सहायक मुद्दों के आधार पर उन पर पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिन पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है।इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले भेद पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए, हम इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

ग

डी.

वैकल्पिक प्रस्तुतियाँ

ई.

34. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी ने बिना किसी पूर्वाग्रह के दो वैकल्पिक प्रस्तुतियाँ दीं।पहला यह है कि 14.03.2017 की एक अधिसूचना द्वारा, उन लोगों को नियमित करने के समान अवसर प्रदान किया गया है जिन्होंने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किए बिना विकास किया है।उनके अनुसार, अपीलकर्ताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और संदर्भ की शर्तें 05.04.2018 पर दी गईं।के. सी. जेड. एम. ए. ने 07.07.2018 पर आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के आवेदन पर भी विचार किया और मामले के पूर्ण विवरण के बारे में एम. ओ. ई. एफ. को सूचित करने का निर्णय लिया।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों को कम से कम उक्त अधिसूचना का लाभ दिया जाना चाहिए।

च

जी.

35. हमने अधिसूचना दिनांक 14.03.2017 का अवलोकन किया है।उक्त अधिसूचना का प्राथमिक उद्देश्य इस मुद्दे को संबोधित करना प्रतीत होता है कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना की गई परियोजनाओं और गतिविधियों से कैसे निपटा जाए।अधिसूचना ए के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं और गतिविधियों को घोषित करने का प्रयास करती है।

एच.

ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006, लेकिन ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन के मामलों के रूप में ऐसी मंजूरी प्राप्त किए बिना की गई और यह उन उल्लंघनकर्ताओं को एक बार की मंजूरी का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करना चाहता है। दिनांकित 14.03.2017 अधिसूचना सीआरजेड अधिसूचनाओं के उल्लंघन के मामलों से संबंधित नहीं है।इसलिए हम उक्त अधिसूचना के तहत अपीलार्थियों के आवेदन पर कुछ नहीं कह सकते।किसी भी मामले में, यह मुद्दा हमारे सामने से उत्पन्न नहीं होता है।

36. अपीलार्थियों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई दूसरी वैकल्पिक प्रार्थना, 18.01.2019 पर जारी CRZ अधिसूचना 2019 के आधार पर है।अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, 2019 की अधिसूचना निर्माण और संचालन की अनुमति देती है, जब तक कि यह एच. टी. एल. से 20 मीटर की दूरी पर हो। अपीलार्थियों के अनुसार, भले ही उनके द्वारा

बनाए गए सभी निर्माण अब ध्वस्त कर दिए गए हों, अपीलार्थी एक बार फिर से निर्माण करने के हकदार होंगे, लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र जो मौजूदा अधिसंरचनाओं द्वारा कवर किया गया है।

ग

37. लेकिन उपरोक्त तर्क का कोई महत्व नहीं है।सी. आर. जेड. 2019 अधिसूचना के पैराग्राफ 10.2 में कहा गया है कि तटीय अप्रवाही जल में सभी अंतर्देशीय द्वीपों और मुख्य भूमि तट के साथ द्वीपों को अधिसूचना द्वारा कवर किया जाएगा।इसमें आगे कहा गया है कि मुख्य भूमि के तट से लगे अप्रवाही जल द्वीपों और द्वीपों की अनूठी तटीय प्रणालियों के साथ-साथ ऐसे तटीय हिस्सों में स्थान की सीमाओं को देखते हुए, भूमि की ओर एच. टी. एल. से 20 मीटर का सी. आर. जेड. समान रूप से लागू होगा।हालांकि, पैराग्राफ 10.2 (ii) में कहा गया है कि गतिविधियों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगाः(क) स्थानीय समुदायों की मौजूदा आवास इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण इन द्वीपों के एच. टी. एल. से 20 मीटर के भीतर किया जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ख) मछली पकड़ने की जेटी, मछली सुखाने के यार्ड, शुद्ध मरम्मत यार्ड, पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने का प्रसंस्करण, नाव निर्माण यार्ड, बर्फ संयंत्र, नाव की मरम्मत और इस तरह की सुविधाएं पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अधीन सी. आर. जेड. सीमा में की जा सकती हैं।

डी.

ई.

च

38. इसलिए, ऐसा नहीं है कि एच. टी. एल. से दूरी मापदंड को 20 मीटर तक कम करने का उद्देश्य अपीलार्थियों जैसे व्यक्तियों को लाभ प्रदान करना है।इसके अलावा, यहां तक कि सी. आर. जेड. 2019 अधिसूचना भी वेम्बनाड झील को पैराग्राफ 3.1 में सी. वी. सी. ए. की श्रेणी में रखती है, लेकिन इसकी पहुंच अलग है।जहाँ तक सीवीसीए का संबंध है, 2011 और 2019 की अधिसूचनाओं के बीच अंतर है।इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

जी.

(i) सीआरजेड 2011 अधिसूचना के पैराग्राफ 8 (वी) (4) में, सीवीसीए के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी, लेकिन पैराग्राफ 8 (वी) (4) (बी)

एच.

यह अनिवार्य है कि उन चिन्हित क्षेत्रों को परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से सीवीसीए के रूप में घोषित किया जा सकता है। पैराग्राफ 8 (वी) (4) (सी) सीवीसीए की पहचान, योजना, अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के परामर्श से एमओईएफ द्वारा दिशानिर्देश विकसित और अधिसूचित करने की आवश्यकता है। 2011 की अधिसूचना के पैराग्राफ 8 (वी) (4) (डी) के तहत सीवीसीए के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं को भी तैयार करने की आवश्यकता थी।

(ii) लेकिन सी. आर. जेड. 2019 अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के तहत, कुछ तटीय क्षेत्रों को महत्वपूर्ण तटीय पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के सामने आने वाली कठिनाइयों की रक्षा के उद्देश्य से विशेष ध्यान दिया जाता है।पैराग्राफ 3.1 गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्रों की पहचान करता है।इनमें वेम्बनाड झील भी शामिल है।जबकि 2011 की अधिसूचना के पैराग्राफ 8 (वी) (4) (बी) में निहित शब्द हैंः" ...घोषित किया जाएगा

ग

सी. वी. सी. ए. के रूप में मछुआरों और क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से।

3.1 2019 की अधिसूचना में से **"...** सी**.** वी**.** सी**.** ए**.** के रूप में माना जाएगा और

मछुआरों सहित तटीय समुदायों की भागीदारी से प्रबंधित किया गया।

डी.

39. इसलिए, अपीलार्थियों के लिए स्थिति बद से बदतर हो गई है।2011 की अधिसूचना के तहत अधिसूचना में चिन्हित क्षेत्रों को केवल स्थानीय मछुआरों आदि के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से सीवीसीए घोषित किया जाना था। सी. वी. सी. ए. की पहचान करने, अधिसूचित करने और उसे लागू करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाने हैं, लेकिन 2019 की अधिसूचना सीधे तौर पर नामित क्षेत्रों को सी. वी. सी. ए. मानती है और तटीय समुदायों की भागीदारी के साथ प्राधिकरण को उनका प्रबंधन सौंपती है।इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा दावा किए गए विकल्प भी उनके लिए व्यवहार्य नहीं प्रतीत होते हैं।

ई.

40. इसलिए, हमारे निष्कर्ष के आलोक में (i) दोनों द्वीपों के लिए समान रूप से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का जवाब वामिका द्वीप (उपरोक्त) में पहले ही दिया जा चुका है, और (ii) जिन विशिष्ट विशेषताओं को पेश करने की मांग की गई है, वे इतनी सामग्री नहीं हैं कि उसमें लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण ले सकें, अपीलों को खारिज किया जा सकता है।तदनुसार, सभी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

च

जी.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.